न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/2010

प्रीतो जोजा कानाराम जाति हरीजन निवासी 26 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।
2. जीतसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी 26 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —रेसपोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी पदमपुर दिनांक 29.07.2010

उपस्थितिः–

श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 13.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीकरणपुर ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 175 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 26 बीबी के मु.न. 24 की 11.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की है जो अनु.जाति की सदस्य है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 जो सवर्ण जाति का सदस्य है, का कब्जा काश्त है। इस प्रकार कब्जा रा.का.अ. की धारा 46ए के तहत अवैध है। अतः उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जावे। वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किया एवं प्रतिवादी के वकील ने पैरवी की हिदायत नहीं होने का निवेदन करने पर राज्य पक्ष की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी जाकर उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 27.12.1997 को वाद स्वीकार कर विवादित भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने

14/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इस न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 27.09.2004 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर उपखंड अधिकारी पदमपुर ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.07.2010 को वादी/स्टेट का वाद स्वीकार कर लिया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी विधवा औरतजात एवं वृद्ध औरत है एवं वह किसी से काश्त करवा सकती है। अपीलार्थी ने भूमि हिस्से ठेके पर नहीं दे रखी है एवं किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करवाती है तो उसकी काश्त मानी जावेगी। अधी.न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी अनु.जाति की सदस्य है एवं रेस्पो. संख्या 2 सवर्ण जाति का सदस्य है जिसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पो. सरकार जरिये तहसीलदार का वाद अन्तर्गत धारा 175 रा.का.अ. स्वीकार कर, विवादित भूमि रकबा राज घोषित कर, बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये हैं, जबकि अपीलांट एक अनु.जाति की वृद्ध विधवा महिला है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46डी के प्रावधानुसार मुजारे पर देकर काश्त करवाती हैं। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

14/8/15

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय का निर्णय मूल रूप से निर्णय दिनांक 27.12.1997 की अपील पेश होने पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2004 द्वारा अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.1997 निरस्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड की गई कि मु0 प्रीतों एक बेबा औरत है जिसे राज.काश्त.अधि. की धारा 46(डी) के तहत अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करवाने का अधिकार प्राप्त है। यदि तथ्य की विस्तृत जांच की जाती तो इस प्रकरण में सही तथ्य उभरकर सामने आ सकते थे। इस आधार पर अधी. न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपीलांट अपीलांट स्वीकार प्रकरण जांच हेतु रिमाण्ड योग्य बन जाता है। रिमाण्ड का आधार अपीलांट को रा.का.अ. 1955 की धारा 46(डी) का protection प्राप्त होना जाहिर कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 29.07.2010 किया गया जिसमें अधी.न्यायालय का निष्कर्ष है कि चक 26 बीबी के मु.नं. 41 की 11.16 बीघा भूमि प्रीतो जोजा कानाराम जाति हरिजन साकिन दे के नाम खातेदारी दर्ज है लेकिन सायला यहां आबाद नहीं है, भूमि बैयनामी है। भूमि पर जीतसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख सा0 26 बीबी गत वर्षो से काबिज चला आ रहा है। भूमि सवर्ण जाति के कब्जा में है। ईएक्स पी.2 जमाबन्दी सम्वत 2043 चक 26 बीबी खाता सं. 39 के मु.नं. 24 में 11.16 बीघा भूमि प्रीतो जोजा कानाराम कौम हरिजन सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत गवाह मांगीलाल पटवारी ने अपने ब्यानों में कथन किया कि उक्त भूमि का खातेदार मौके पर आबाद नहीं है। उक्त भूमि पर जीतसिंह पुत्र केहरसिंह कौम जटसिख के कब्जा काश्त में है। इसी प्रकार पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत गवाह सतनामदास पटवारी ने अपने ब्यानों में कथन किया कि भूमि प्रीतो के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रीतो मौके पर आबाद नहीं है, भूमि बेनामी है। रकबे पर पुत्र जीत सिंह पुत्र केहरसिंह कोम जटसिख सा0 26 बीबी काफी वर्षो से काबिज चला आ रहा है। अतः पुनः पैराकार राज का वाद पत्र स्वीकार किया गया बाबत यह समीचीन होगा कि यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज नहीं है जहां तक रा.का.अ. की धारा 46डी का protection का प्रश्न है वह कतिपय प्रतिबंधों के साथ

उपलबध है जिसकी सन्दर्भ विधि रा.का.अ. 1955 की धारा 46ए है जिसके अनुसार अनु.जाति की कृषि भूमि गैर अनु.जाति के व्यक्ति को मुजारे पर नहीं दी जा सकती। जैसा कि प्रकरण हाजा में साक्ष्यों से यह साबित है कि विवादित कृषि भूमि गैर अनु.जाति के व्यक्ति के कब्जे में है सन्दर्भ धारा की bare reading है कि 46ए आपवादिक मामलों में पट्टे या उपपट्टे पर देना–(1) खुदकाश्त के धारक या भू स्वामी पट्टे पर किसी अभिधारी द्वारा उपपट्टे पर देने पर धारा 45 द्वारा अधिरोपित निर्बधन निम्नलिखित व्यक्यिों पर लागू नहीं होगें:– (क) अवयस्क या (ख) पागल या (ग) जड़ या (घ) कोई औरत जो अविवाहित हो या उसका विवाह विच्छेद हो गया हो या पति पृथककृत हो या जो विधवा हो या (ड.) कोई व्यक्ति जो अन्धेपन या अन्य शारीरिक निर्योग्यता या दुर्बलता के कारण अपनी जोत पर खेती करने में असमर्थ हो या (च) कोई व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य हो या (छ) कोई व्यक्ति जो कारागृह में निरूद्ध या परिरूद्ध हो या (ज) कोई व्यक्ति जो 25 वर्ष से अधिक की आयु का न हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन करता हुआ छात्र हो।

पत्रावली के अवलोकन, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर